

न्यायालय—प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1 के अतिरिक्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1,
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

(पीठासीन अधिकारी— आसिफ अहमद अब्बासी)

व्यवहार वाद क्रं. — 22ए/16
संस्थित दिनांक — 11.12.12

कमला बाई पुत्री सुखनंदन पत्नि केशवदेव मिश्रा आयु 61 वर्ष
निवासी— कटरा बाजार, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... वादी

विरुद्ध

1. रामबाबू पुत्र धनीराम रहोरा आयु 34 साल
निवासी— वार्ड क्रमांक 13 खटकयाना मार्ग
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
2. पूरन सिंह पुत्र बालचंद अहिरवार आयु— 39 साल
निवासी वार्ड—13 मीट मार्केट के पास
तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0
3. सोनू पुत्र मंगू कोली आयु लगभग 29 साल
निवासी— वार्ड क्रमांक 13, जुगयाना पुरा
तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0
4. म0प्र0 शासन द्वारा श्रीमान कलेक्टर महोदय
चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

/// निर्णय ///

:: आज दिनांक 31.03.17 को पारित ::

01— यह वाद चंदेरी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 204/1 रक्बा 14400 वर्ग फुट भूमि जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में ए, बी, सी, डी अक्षरों से चिह्नित किया गया है तथा जिसे निर्णय के आगे चरणों में विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया जा रहा है पर वादी का स्वामित्व व आधिपत्य घोषित किये जाने की घोषणात्मक सहायता सहित उक्त भूमि पर वादी के आधिपत्य में प्रतिवादीगण व अन्य को हस्तक्षेप करने से निषेधित किये जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया है।

- 02— वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि पूर्व में ग्राम पंचायत प्राणपुर अंतर्गत आती थी जिसका पट्टा ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा वादी को 1969 में दिया गया था और तब से उक्त भूमि पर वादी मकान व बांउड़ी बनाकर काबिज है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के बाद विवादित भूमि ग्राम पंचायत सीमा से विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के चंदेरी के अंतर्गत आ गई थी तथा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का विलय नगर पालिका परिषद चंदेरी में होने के बाद उक्त भूमि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य के रूप में नगर पालिका चंदेरी में दर्ज है। वादी के विरुद्ध प्रकरण क्रमांक 756/98-99 अ-68 पर उक्त भूमि के संबंध में अतिक्रमण का प्रकरण दर्ज हुआ था। जिसमें राजस्व न्यायालय ने विधिवत जांच कर दिनांक 30.01.99 को निर्णय पारित कर विवादित भूमि पर वादी का अतिक्रमण न मानते हुये ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा पट्टे पर दी जाना माना था।
- 03— विवादित भूमि पूर्व में भूखण्ड क्रमांक 5 मोहल्ला पछार दरवाजा वार्ड क्रमांक 11 में तथा वर्तमान में भवन क्रमांक 6 वार्ड, क्रमांक 16 नगर पालिका की सम्पत्ति रजिस्ट्रार पर वादी का नाम दर्ज हैं। पूर्व में नाथूराम, अशोककुमार, राकेशकुमार, बारेलाल, सुल्तान, पन्ना लाल, सरवेश के द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने के प्रयास पर वादी तथा उसके पति ने अनुविभागीय अधिकारी धारा के समक्ष 145 द0प्र0स0 के तहत के कार्यवाही की थी, जो प्रकरण क्रमांक 07/2001 पर दर्ज होकर उसमें दिनांक 02.07.2001 को वादी के हित में निर्णय पारित हुआ था। वर्ष 1969 से विवादित भूमि पर वादी स्वामी के रूप में काबिज चली आ रही है। प्रतिवादी क्रमांक 2 लायगत 4 राजस्व कागजात में वादी का नाम विवादित भूमि पर दर्ज न होने के कारण उक्त भूमि पर आये दिन कब्जा करने की धमकी देते हैं तथा दिनांक 05.08.12 को भी उनके द्वारा धमकी दी गई। वादी द्वारा कई बार राजस्व अधिकारियों से निवेदन करने पर भी उसका नाम विवादित भूमि पर बतौर भूमि स्वामी दर्ज नहीं हुआ। दिनांक 27.08.12 को प्रतिवादी क्रमांक 1 के 80 सी0पी0सी0 का सूचना पत्र दिये जाने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। वाद कारण दिनांक 05.08.12 को व दिनांक 27.08.12 को उत्पन्न हुआ जिसके बाद वाद का मूल्य 400/- रुपये पर कायम कर कुल 500/- रुपये न्यायशुल्क के साथ यह वाद निर्णय के चरण क्रमांक 1 में वर्णित सहायता प्राप्त करने बाबत प्रस्तुत किया गया।
- 04— प्रतिवादी क्रमांक 1 का जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि सर्वे क्रमांक 204/01 रक्बा 23.429 हैक्टेयर भूमि पठार नजूर मध्य प्रदेश शासन व आधिपत्य की भूमि है। उक्त भूमि ग्राम पंचायत प्राणपुर के अधीन कभी नहीं रही और न ही उक्त भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत द्वारा कभी प्रदान किया गया। विवादित भूमि पर वादी का अंवैधानिक अतिक्रमण है। जिससे विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण चंदेरी में एवं नगर पालिका परिषद चंदेरी में वादी का नाम विवादित भूमि पर दर्ज होना अंवैधानिक है। वादी के पति नगर पालिका परिषद चंदेरी में वरिष्ठ लिपिक हैं। यदि उसके द्वारा वादी का नामांतरण विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण चंदेरी में एवं नगर पालिका परिषद चंदेरी में कराया गया हो तो वह अंवैधानिक है। विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का विलय नगर पालिका चंदेरी में अवश्य हुआ है परन्तु वादी नगर पालिका चंदेरी के अभिलेख में विवादित भूमि की स्वामी व आधिपत्यधारी नहीं हो सकती है। दिनांक 30.01.99 को वादिनी ने अपने पक्ष में यदि किसी तहसीलदार को प्रभाव में लेकर प्रकरण क्रमांक 756/98-99 अ 68 में अतिक्रमण

निरस्त भी किया गया है। तो उससे वादी को भूमि के स्वामित्व का अधिकार नहीं होता है। नगर पालिका संपत्ति कर रजिस्ट्रार में वादी ने अपने पति के प्रभाव में नाम दर्ज कराया है। तो ऐसा नामांतरण अवैधानिक है क्योंकि शासन द्वारा वादी को भूमि का पट्टा प्रदान नहीं किया गया यदि वादिनी को पट्टा दिया जाता तो उसका अमल राजस्व प्रपत्रों में होता। वादिनी की धारा 145 का प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी चंदेरी में चला है, किन्तु उससे वादी भूमि स्वामी नहीं बन जाती है। वादी के द्वारा भूखण्ड पर मकान का उल्लेख किया है, जिस पर बाजारू मूल्य पर न्यायशुल्क अदा नहीं किया है तथा इस न्यायालय को विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है तथा दावा अवधि बाधित है। अतः दावा 10000/- रुपये हर्जे पर निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

05— प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 की ओर से जबाव संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादित भूमि का पट्टा 1969 में वादी को प्रदान किया गया। यदि किया गया होता तो वादी का नामांतरण राजस्व अभिलेखों में हो गया होता। वादी जिस समय पट्टा प्राप्त होना बता रही है, उस समय उसकी आयु 13 वर्ष रही होगी जिससे वह नाबालिग थी। यदि उस समय पट्टा होता तो वादी के पिता को होता तथा विवाह के पश्चात् पति को होता। ग्राम पंचायत को भूमि पर पट्टे पर देने का अधिकार नहीं है। सर्वे क्रमांक 204/01 रक्बा 23.429 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में शासकीय अंकित है। उक्त रक्बे में वादी का किस स्थान पर कब्जा है, यह स्पष्ट नहीं है। वादी तथा वादी के पति शासकीय भूमि हड़पना चाहते हैं। सर्वे क्रमांक 204/1 के कुछ भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 कच्ची झोपड़ी बना कर निवास कर रहे हैं। प्रतिवादी के मकान के आसपास कोई मकान नहीं है। प्रतिवादीगण पर नोटिस जारी कर अर्थदण्ड भी हुआ है। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण गठित होने के बाद ग्राम पंचायत भूमि प्राधिकरण में कब आ गई यह वादी ने स्पष्ट नहीं किया। शासकीय भूमि का यदि पट्टा प्रदान होता है तो उसका इंड्राज राजस्व अभिलेख में होता है, निर्माण के लिये डायवर्जन कराना आवश्यक होता है। वादी ने अपने पति से साठगाठ कर गलत तरीके से अपना अंकित कराया है। वादग्रस्त भूमि पर कोई भवन नहीं है। प्रकरण क्रमांक 756 अ 68/98-99 में किस आधार पर वादी का अतिक्रमण नहीं माना यह स्पष्ट नहीं है।

06— वादी की ओर से प्रस्तुत ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 110 पर दिनांक 31.10.69 अंकित हैं जबकि प्रकरण क्रमांक 756 अ 68/98-99 में आदेश दिनांक 30.01.99 के पैरा दो में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है, कि ग्राम पंचायत के प्रकरण क्रमांक 5/1968 में दिनांक 30.11.69 में विवादित भूमि पट्टे पर दिया जाना उल्लेखित है जिससे दस्तावेजों में विरोधाभास है। वादी ने अपने पति व नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों से मिलकर फर्जी कूट रचित प्रपत्र तैयार किया है तथा उक्त दस्तावेज के आधार पर अन्य स्थान पर मकान भी बना लिया है। नगरपालिका परिषद में कर जमा करने से भूमि पर स्वामित्व व आधिपत्य का हक प्राप्त नहीं होता है। वादी के पति के नाम पर चंदेरी में पुश्तैनी मकान है तथा एक मकान बायपास चुंगी के पास बना है। जिसे भी प्राणपुर पंचायत द्वारा पट्टे पर आधार बनाया गया है तथा पुराने थाने के सामने भी वादिनी ने अतिक्रमण किया है। वादी के द्वारा की 145 द0प्र0स0 की कार्यवाही कर स्वत्व से संबंधित नहीं होती। अनुविभागीय द्वारा जो स्थल निरीक्षण कराया गया है जो अन्य भूमियों के संबंध में हैं। प्रतिवादीगण ने वादी को कभी कब्जा करने कोई धमकी नहीं दी। वादी ने वाद का

उचित मूल्यांकन न करके कम न्यायशुल्क अदा किया है। वादी को अपने परिवार के नाम पर अंकित भूखण्डों का विवरण देना आवश्यक था, जो कि नहीं दिया गया है। मूल्यांकन अधिक होने से ये प्रकरण यह न्यायालय के श्रवण क्षेत्राधिकार में नहीं आता। पट्टा दिनांक से दावा 43 साल बाद पेश किया गया है। जिससे दावा अवधि बाधित होकर निरस्त योग्य हैं अतः दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07— प्रकरण में प्रकरण में मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्न निर्धारित किये गये हैं। जिनके समक्ष उन पर मेरे द्वारा दिये गये निष्कर्ष अंकित हैं:—

क्रमांक	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादी को ग्राम पंचायत प्राणपुर स्थित वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 204/01 रक्बा 160 गुणित 90 बराबर 14400 वर्ग फुट जिसे वाद पत्र के साथ संलग्न मानचित्र में ए, बी, सी, डी से दर्शित किया गया है, को वर्ष 1969 में ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा पट्टा देकर कब्जा प्रदान किया गया था ?	प्रमाणित नहीं।
2.	क्या वादी उक्त वादग्रस्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर स्वामी व आधिपत्यधारी घोषित करा पाने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
3.	क्या वादी के वैध आधिपत्य की भूमि पर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 के द्वारा अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ?	प्रमाणित नहीं।
4.	यदि हाँ तो क्या वादी, प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी है ?	प्रमाणित नहीं।
5.	क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया है ?	प्रमाणित है।
6.	क्या उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है ?	प्रमाणित है।
7.	क्या वाद अवधि बाह्य है ?	प्रमाणित नहीं।
8.	सहायता एवं वाद व्यय ?	निर्णय की कण्डिका 36 के अनुसार प्रदान किया।

—सकारण निष्कर्ष:—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 व 2 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

- 08— वादी पक्ष की ओर से अपने समर्थन में स्वयं वादी कमलाबाई (व0सा0-1) सहित गौरी शंकर (व0सा0-2) व श्रीराम (व0सा0-3) के कथन न्यायालय में कराये गये। कमला बाई (व0सा0-1) के अनुसार विवादित भूमि उसे वर्ष 1969 में ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा पट्टे पर प्रदान कर उसे मौके पर कब्जा दिया गया था और तब से वह उक्त भूमि पर मकान एवं चनखरी की बाउंड्री बनाकर उस काबिज है। इस साक्षी का कहना है कि उक्त भूमि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के गठन के उपरांत उसमें शामिल हुई तथा बाद में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विलय नगर पालिका परिषद चंदेरी में हो जाने से उक्त विवादित भूमि नगर पालिका परिषद चंदेरी में उसके स्वामित्व व आधिपत्य के रूप में दर्ज हुई है तथा पूर्व में राजस्व न्यायालय में अतिक्रमण के संबंध में चले प्रकरण क्रमांक 756/98-99 अ 68 में पारित निर्णय दिनांक 30.01.99 में राजस्व न्यायालय ने विवादित भूमि पर वादी का अतिक्रमण न मानते हुये उसे पट्टे पर दी जाना माना है।
- 09— वादी की ओर से प्रस्तुत अभिवचन एवं मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथनों में इस बात का तो उल्लेख है कि 1969 में ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा उसे विवादित भूमि पट्टे पर प्रदान की गई थी, परन्तु उक्त भूमि किस सरपंच के काल में किस दिनांक को व ग्राम पंचायत के किस प्रस्ताव क्रमांक से वादी को पट्टे पर प्रदान की गई, इस संबंध में वादी के अभिवचन एवं मुख्यपरीक्षण में दिये गये कथन मौन हैं। कमला बाई (व0सा0-1) अपने प्रतिपरीक्षण में भी यह स्पष्ट नहीं कर सकी कि उसने पट्टे के लिये किस साल में आवेदन दिया था तथा किस सरपंच व सचिव ने उसे पट्टा प्रदान किया था। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में पहले किसी जैन सरपंच द्वारा पट्टा देना बताती है परन्तु बाद में मथुरा प्रसाद के द्वारा पट्टा दिया जाना कहती है। इस साक्षी का यह स्पष्ट कहना है कि पट्टे की संपूर्ण कार्यवाही उसके पति द्वारा की गई तथा वह पट्टा लेने नहीं गई। अतः वादी कमला बाई के द्वारा अपने न्यायालीन कथनों में पट्टे के संबंध में दिये गये अस्पष्ट कथनों से यह दर्शित होता है कि उसे विवादित भूमि के पट्टे के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वादी संपूर्ण कार्यवाही अपने पति के द्वारा कि जाना बताती हैं, जिसकी साक्ष्य वादी पक्ष की ओर से प्रकरण में नहीं करायी गई है।
- 10— वादी का अपने अभिवचनों में व न्यायालीन कथनों में यह तो कहना है कि ग्राम पंचायत में वर्ष 1969 में उसे विवादित भूमि का पट्टा प्रदान किया था। परन्तु वादी की ओर से उक्त पट्टे का मूल दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी की ओर से ऐसा कोई राजस्व अभिलेख प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है जो विवादित भूमि पर पट्टेदार के रूप में उसका नाम इंद्राज होना दर्शित करता हो। वर्ष 1969 में वादी विवादित भूमि पट्टे पर प्राप्त होना बताती है परन्तु वर्ष 1969 के बाद के कोई राजस्व अभिलेख उक्त तथ्य को प्रमाणित करने के लिये अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं किये गये। वादी कमला बाई (व0सा0-1) का अपने मुख्यपरीक्षण के सशपथ कथनों में कहना है कि शासन के अधिनस्थ लोगों ने उसका नाम कब्जेदार के रूप में तो दर्ज किया है तथा भूमि स्वामी के रूप में दर्ज नहीं किया। जबकि उसके द्वारा शासन को नोटिस भी दिया गया।

- 11— वादी के ओर से प्रकरण में शासन को दिये गये नोटिस प्रदर्श पी 1 की कार्यालयीन प्रति सहित नोटिस प्रस्तुत करने की पोस्टल रसीद प्रदर्श पी 2 प्रकरण में प्रस्तुत की है। जिसके अनुसार दिनांक 27.08.12 को वादी के द्वारा नोटिस जिला दण्डाधिकारी को विवादित भूमि पर भूमि स्वामी के रूप में वादी का नाम दर्ज करने का निवेदन किया गया। यहा यह उल्लेखनीय है कि उक्त नोटिस दिनांक 27.08.12 को दावा दायर होने के लगभग तीन माह पूर्व ही प्रेषित किया गया जबकि वर्ष 1969 को वादी पट्टा प्राप्त होना बता रही है विगत वर्ष 1969 से वर्ष 2012 तक वादी के द्वारा अपना नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराने के संबंध में कोई कार्यवाही की ऐसा कोई अभिवचन या कथन वादी ने नहीं दिया।
- 12— वादी के द्वारा अपने अभिवचनों में एवं न्यायालीन कथनों में इस बात का भले ही उल्लेख न किया हो किस दिनांक को किस प्रस्ताव क्रमांक से किस सरपंच के द्वारा उसे विवादित भूमि का पट्टा दिया गया परन्तु वादी के द्वारा प्रकरण में कार्यालय ग्राम पंचायत प्राणपुर के द्वारा प्रदाय किया गया दस्तावेज प्रदर्श पी 17 एवं प्रमाणिकरण प्रदर्श पी 21 प्रकरण में प्रस्तुत किया है। यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श पी 17 का दस्तावेज ग्राम पंचायत प्राणपुर के द्वारा प्रदान किये गये कथित पट्टे का मूल प्रस्ताव नहीं है बल्कि प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 की सत्यप्रतिलिपि होना बताया गया है। सविता रजक (प्र0सा0-2) का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 3 में यह कहना है कि प्रदर्श पी 17 का दस्तावेज प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 की सत्यप्रतिलिपि है एवं प्रदर्श पी 21 का प्रमाण पत्र स्वयं उसके द्वारा जारी किया गया है, जिस पर उसने सरपंच विद्यादेवी के हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं। साक्षी सविता रजक पंचायत सचिव (प्र0सा0-2) ने अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट करते हुये कथन दिये हैं कि मूल प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 का मूल अभिलेख पंचायत में नहीं है जो नष्ट हो चुका है तथा उसके पास उस प्रस्ताव की छाया प्रति है जिसके आधार पर उसने प्रदर्श पी 21 का प्रमाणपत्र जारी किया है।
- 13— अतः वादी की ओर से विवादित भूमि पर अपना पट्टा साबित करने के लिये प्रस्तुत किये गये मुख्य दो दस्तावेज प्रदर्श पी 17 एक ओर जहां मूल पट्टे का दस्तावेज नहीं है वहीं प्रदर्श पी 21 का प्रमाणपत्र सविता रजक द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 की छायाप्रति के आधार पर जारी किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 64 के अनुसार किसी भी दस्तावेज को यदि साबित किया जाना है तो वह केवल मूल दस्तावेज प्रस्तुत कर ही साबित किया जा सकता है और यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 में वर्णित परिस्थितियों को साबित कर दिया जाता है तो उक्त दस्तावेज को द्वितीय साक्ष्य से साबित किया जा सकता है। सविता रजक (प्र0सा0-2) का कहना है कि प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 का मूल अभिलेख पंचायत में नहीं है तथा अभिलेख में नष्ट हो चुका है तथा उक्त प्रस्ताव की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 17 का दस्तावेज होना बताया है, जिसे वादी ने अपने समर्थन में प्रस्तुत किया है।
- 14— वादी के द्वारा मूल पट्टे से संबंधित प्रस्ताव ठहराव को साबित करने के लिये प्रदर्श पी 17 के दस्तावेज द्वितीय साक्ष्य में ग्राह्य किये जाने के लिये कोई आधार स्थापित नहीं

किया गया। निश्चित रूप से लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि साक्ष्य में ग्राह्य होती हैं, प्रदर्श पी 17 का दस्तावेज साक्ष्य अधिनियम की धारा 76 की परिधि में आने वाली लोक दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि भी नहीं है क्योंकि न तो उसे विधिवत शुल्क अदा करके प्राप्त किया गया है, और न ही उक्त दस्तावेज पर धारा 76 में उल्लेखित प्रमाणिकरण भी उपलब्ध है। उक्त दस्तावेज किसके द्वारा लिखा गया व किसके हस्ताक्षर से जारी हुआ, यह भी वादी के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। अतः ऐसे में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 17 कथित मूल प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 को प्रमाणित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। मात्र दस्तावेज के प्रस्तुत कर देने से दस्तावेज प्रमाणित नहीं होता है उसे विधि के अपेक्षा के अनुरूप साबित करना होता है जो कि प्रदर्श पी 17 के संबंध में वादी के द्वारा साबित नहीं किया गया। अतः उक्त दस्तावेज से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

15— जहां तक प्रदर्श पी 21 के प्रमाणिकरण का प्रश्न है तो उक्त दस्तावेज भले साक्षी सविता रजक (प्र0सा0-2) ने अपने व सरपंच विद्यादेवी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाना अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है। परन्तु उक्त प्रमाणिकरण प्रस्ताव की छाया प्रति के आधार पर बिना किसी अभिलेख को देखे स्वयं सविता रजक (प्र0सा0-2) ने जारी करना स्वीकार किया है। यदि प्रस्ताव की छाया प्रति ही बिना धारा 65 साक्ष्य अधिनियम का परिपालन किये साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, तो उक्त छायाप्रति के आधार पर जारी किये गये प्रमाणिकरण प्रदर्श पी 21 का भी कोई महत्व नहीं रह जाता है तथा उक्त प्रमाणिकरण के आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि विवादित भूमि का पट्टा वादी को ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 के द्वारा प्रदान किया गया है।

16— वादी ने अपने अभिवचनों व अपने न्यायालीन कथनों में विवादित भूमि पर अपने स्वामित्व को साबित करने के लिये मुख्य रूप से राजस्व न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 756 अ 68/98-99 में पारित आदेश दिनांक 30.01.99 एवं अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष वादी के द्वारा संस्थित की गई कार्यवाही अंतर्गत धारा 145 द0प्र0स0 में पारित किये गये आदेश एवं कराये गये स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पर बल दिया है तथा उक्त प्रकरण से संबंधित दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपियां प्रदर्श पी 13, 14, 15 व 16 प्रकरण में प्रस्तुत की हैं। वादी का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि प्रकरण क्रमांक 756 अ 68/98-99 में पारित आदेश दिनांक 30.01.99 में राजस्व न्यायालय ने वादी का अतिक्रमण न मानते हुये विवादित भूमि ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा पट्टे पर दी जाना माना है तथा अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 145 द0प्र0स0 की कार्यवाही में दिनांक 02.07.01 को उसके पक्ष में निर्णय पारित कर नाथूराम, अशोककुमार, राकेशकुमार, बारेलाल, सुल्तान, पन्नालाल व सरवेश के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है।

17— तहसील न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 756 अ 68/98-99 में पारित आदेश दिनांक 30.01.99 जो प्रदर्श पी 13 से चिन्हित किया गया है, के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सर्वे क्रमांक 204/1 जो कि नजूल भूमि है पर 160 गुणित 90 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण करने के संबंध में वादी के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित कर मध्यप्रदेश भू-राजस्व

संहिता की धारा 248 के तहत सूचना पत्र प्रेषित किये गये थे जिसमें वादी का जबाव आने पर उक्त भूमि पर तहसीलदार चंदेरी द्वारा आदेश दिनांक 30.01.99 को वादी का अतिक्रमण नहीं माना था। परन्तु यहाँ यह उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश में तहसीलदार के द्वारा जिन दस्तावेजों के आधार पर निष्कर्ष दिये गये वो छायाप्रतियाँ थी तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया तहसीलदार द्वारा वादी के विरुद्ध अतिक्रमण के संबंध में संस्थित प्रकरण निरस्त किया है। परन्तु उक्त निष्कर्ष इस बात का निश्चयक प्रमाण नहीं हो सकता है कि विवादित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा वादी को प्रदान किया गया था जिसके आधार पर वादी को विवादित भूमि का स्वत्व प्राप्त हो गया। यह निष्कर्ष देने एवं घोषणा करने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालय को है तथा तहसील न्यायालय का निष्कर्ष इस न्यायालय पर बंधनकारी नहीं है।

- 18— इसी प्रकार धारा 145 द0प्र0स0 की कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 02.07.2001 को आदेश पारित कर उक्त प्रकरण के अनावेदकगण के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाने की आदेश पारित किये हैं परन्तु उक्त आदेश प्रदर्श पी 14 विवादित भूमि पर वादी के स्वत्व का दस्तावेज नहीं हो सकता है। उक्त आदेश में अनुविभागीय अधिकारी ने विवादित भूमि पर वादी का स्वामित्व एवं आधिपत्य मानते हुये एवं इस संबंध में निष्कर्ष देते हुये अनावेदकगण के विरुद्ध कार्यवाही की है जिसके संबंध में यह उल्लेख करना उचित होगा कि विवादित भूमि पर स्वत्व व आधिपत्य घोषित किये जाने का कोई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को नहीं था। अनुविभागीय अधिकारी को मात्र शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आदेश करना था जिसे उसी दृष्टि से देखा जा सकता है उक्त आदेश प्रदर्श पी 14 से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।
- 19— अभिलेख पर इस आशय की कोई विश्वसनीय मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष समक्ष आता हो कि विवादित भूमि का पट्टा ग्राम पंचायत प्राणपुर के द्वारा प्रस्ताव क्रमांक 110 दिनांक 31.10.69 के द्वारा दिया गया। जहाँ तक विवादित भूमि पर वादी के आधिपत्य का प्रश्न है तो उक्त भूमि पर वादी वर्ष 1969 से पट्टे के आधार पर अपना आधिपत्य होना अपने न्यायालीन कथनों में कहती है, जिसके संबंध में वादी का अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 19 में कहना है कि विवादित भूमि पर उसने एक पक्का कमरा व दो कच्चे कमरे का निर्माण किया है तथा शेष भूमि खुली होकर चारों तरफ बाउंड्री बना ली है। वादी की ओर से साक्षी गौरीशंकर (व0सा0-2) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं जो कि वादी के उक्त विवादित भूमि पर बने कमरे में किरायेदार रहना अपने न्यायालीन कथनों में बताता है इस साक्षी का कहना है कि उक्त विवादित भूमि पर वादी का एक पक्का कमरा व दो कच्चे कमरे बने हैं व चारों तरफ बाउंड्री है तथा उसने वादी से एक कमरा वर्ष 2001-02 में किराये पर भी लिया था, इस साक्षी ने उक्त विवादित भूमि के पास वावड़ी होने का उल्लेख किया है, जिसका उल्लेख प्रदर्श पी 14 के अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में भी है। इसी प्रकार श्रीराम (व0सा0-3) ने भी विवादित भूमि पर वादी का एक कमरा व दो कच्चे कमरे होना व चारों तरफ बाउंड्री होना अपने न्यायालीन कथनों में बताया है।
- 20— प्रकरण में प्रदर्श पी 13, 14, 15 व 16 के दस्तावेजों से भी यह स्पष्ट होता है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 204/1 रक्बा 160 गुणित 90 वर्गफीट पर वादी का कब्जा

वर्ष 1999 से रहा है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में प्रदर्श डी-2 के खसरा संवत् 2056 से 2060 की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, जिसमें सर्वे क्रमांक 204/1 पर प्रकरण क्रमांक 756 अ 68/98-99 में पारित आदेश दिनांक 30.01.99 के आदेश की प्रविष्टि होकर विवादित भूमि पर कमला बाई के कब्जे की प्रविष्टि है। प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 की ओर से हल्ला पटवारी रामगोपाल उइके (प्र0सा0-1) के कथन न्यायालय में कराये गये जिसमें रामगोपाल उइके ने अभिलेख पर के आधार पर यह कथन दिये हैं कि वर्तमान खसरा 2017 एवं बंदोबस्ती संवत् 2013 में सर्वे क्रमांक 204/1 मध्यप्रदेश शासन की भूमि दर्ज है जिस पर किसी व्यक्ति का अतिक्रमण एवं भूमि स्वामी स्वत्व की प्रविष्टि नहीं है। हालांकि इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में इस बात की जानकारी होने से इन्कार किया है कि ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा कमला बाई को विवादित भूमि का पट्टा दिया गया था तथा उसे तहसीलदार ने अतिक्रमण भी माना था। यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताने की स्थिति में नहीं है कि सर्वे क्रमांक 204/01 पर 2017 के पहले किस-किस व्यक्ति का राजस्व अभिलेखों में कब्जा दर्ज था।

21— निश्चित रूप से प्रतिवादीगण की ओर से अपने समर्थन में वर्ष 1969 के बाद के राजस्व अभिलेख सर्वे क्रमांक 204/1 के संबंध में प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये हैं, जिससे सर्वे क्रमांक 204/1 की उस समय के बाद की स्थिति स्पष्ट होती है तथा वास्तव में सर्वे क्रमांक 204/01 पर किस-किस व्यक्ति का आधिपत्य रहा है यह स्पष्ट होता है। परन्तु यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादीगण की उक्त कमजोरी का लाभ वादी प्राप्त नहीं कर सकती है, वादी को विवादित भूमि पर अपना स्वत्व बल पर साबित करना है। इस संबंध में न्यायालय का अभिमत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत AIR 2014 S.C. 937. Union of India and others v. Vasavi coop housing society Ltd. and others पर आधारित है। वादी की ओर से विवादित भूमि पर अपने स्वत्व का स्त्रोत ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा पट्टा प्रदान किया जाना बताया है, परन्तु उक्त तथ्य को साबित करने के लिये अभिलेख पर वादी की ओर से कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है। विवादित भूमि पर वर्ष 1969 के बाद से वादी का जहां तक आधिपत्य होने का प्रश्न है, तो उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य वर्ष 1969 के बाद से ही रहा है, यह साबित करने के लिये साक्ष्य उपलब्ध नहीं है हालांकि वादी की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 13, 14, 15 व 16 के दस्तावेजों से एवं प्रतिवादीगण की से प्रस्तुत प्रदर्श डी 2 के दस्तावेज से वादी का विवादित भूमि पर वर्ष 1999 से कब्जा होने की अभिलेख पर स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है परन्तु वर्ष 1999 के पूर्व का कोई दस्तावेज कब्जे के संबंध में अभिलेख पर न होने से वर्ष 1999 से पूर्व विवादित भूमि पर वादी का कब्जा नहीं माना जा सकता है।

22— वादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में यह व्यक्त किया गया है, कि विवादित भूमि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में आने एवं बाद में उसका विलय नगर पालिका चंदेरी में हो जाने से उक्त विवादित भूमि नगर पालिका के सम्पत्ति कर रजिस्ट्रार में भूखण्ड क्रमांक 5 मोहल्ला पछाड दरवाजा वार्ड क्रमांक 11 के रूप में तथा बाद में भवन क्रमांक 6 वार्ड क्रमांक 16 के रूप में उसके नाम पर दर्ज हुई हैं। जिसको प्रमाणित करने के लिये वादी की ओर से विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की रसीद प्रदर्श पी 3 लगायत 10 एवं नगर पालिका परिषद की रसीद प्रदर्श पी 11 व 12 प्रकरण में प्रस्तुत की है, तथा साथ ही विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र दिनांक 30.09.97 नगर पालिका

परिषद चंदेरी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी का दिनांक 31.05.2001 एवं दिनांक 01.01.11 का प्रमाणिकरण प्रकरण में प्रस्तुत किया है, जो कि भवन क्रमांक 5 वार्ड नंबर 11 मोहल्ला पछार दरवाजा गली एवं भवन क्रमांक 6 वार्ड क्रमांक 16 मोहल्ला गली पछार दरवाजा मार्ग के संबंध में है।

- 23— वादी का कहना है कि विवादित भूमि विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में आने एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का विलय नगर पालिका परिषद चंदेरी में हो जाने से विवादित भूमि पूर्व में भवन क्रमांक 5 वार्ड नंबर 11 तथा बाद में भवन क्रमांक 6 वार्ड नंबर 16 परिवर्तित होकर सम्पत्ति कर रजिस्टर में दर्ज हुई। यहां यह उल्लेखनीय है कि वादी की ओर से प्रस्तुत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं नगर पालिका परिषद चंदेरी की उपरोक्त रसीदों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उक्त रसीदें उपरोक्त वर्णित भवनों से संबंधित हैं तथा प्रस्तुत रसीद एवं प्रमाणपत्र से यह निष्कर्ष भी नहीं निकाला जा सकता है कि उपरोक्त दस्तावेज विवादित भूमि से संबंधित हैं। प्रदर्श पी 18, 19 व 20 के प्रमाणपत्र किस व्यक्ति द्वारा जारी किये गये यह वादी ने तो अपने न्यायालीन कथनों में स्पष्ट किया है न ही उक्त दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति की साक्ष्य न्यायालय में करायी है और न ही विधिवत साक्ष्य अधिनियम की धारा 67 के तहत उक्त दस्तावेज को प्रमाणित करने के लिये उक्त दस्तावेज जारी करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर ही प्रमाणित कराये गये।
- 24— प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रकरण में नगरपालिका अधिकारी के 0 के 0 पटेरिया (व 0 सा 0—4) के कथन न्यायालय में कराये गये हैं। जिसके द्वारा प्रदर्श डी 17 का प्रमाणपत्र जारी किये जाने की पुष्टि की, जिसके अनुसार वार्ड क्रमांक 11 व 16 में वादी कमला बाई को कोई मकान न होना बताया है। जबकि वार्ड क्रमांक 8 मदार की ढाल गली में भवन क्रमांक 27 वादी के नाम पर सम्पत्ति कर पंजी में दर्ज होना बताया है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श डी 7 का भी प्रमाणपत्र जारी किया जाना एवं उस पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। जिसके अनुसार वार्ड क्रमांक 16 में भवन क्रमांक 6 पर सम्पत्ति कर रजिस्टर में वादी का नाम दर्ज होने के संबंध में प्रमाणिकरण प्रस्तुत किया है। अतः उपरोक्त दोनों ही प्रमाणिकरण एक दूसरे के विरोधाभासी हैं क्योंकि एक ओर वार्ड नंबर 8 मदार की गली भवन क्रमांक 27 पर वादी का नाम सम्पत्ति कर रजिस्टर में दर्ज होने के साथ वार्ड क्रमांक 11 व 16 में वादी के नाम पर मकान की कोई प्रविष्टि न होना बताया गया है, वही इसके विपरीत एक वर्ष बाद जारी किये गये प्रमाणपत्र में भवन क्रमांक 6 वार्ड क्रमांक 16 पिछोर रोड मार्ग पर वादी के नाम का सम्पत्ति कर रजिस्टर में इन्द्राज होना बताया है।
- 25— यदि तर्क के लिये इस बात पर विश्वास भी किया जावे कि भवन क्रमांक 6 वार्ड क्रमांक 16 मोहल्ला गली पिछोर रोड का सम्पत्ति कर रजिस्टर में इन्द्राज वादी के नाम पर है, तब भी उक्त इन्द्राज से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि सर्वे क्रमांक 204/1 की जिस विवादित भूमि को वादी पट्टे पर प्राप्त होना बता रहा है, वह दोनों सम्पत्तियां एक ही हैं। सम्पत्ति कर रजिस्टर में हुई प्रविष्टि वैसे भी स्वामित्व का प्रमाण नहीं होती है, उसका प्रयोजन मात्र कर की वसूली के लिये होता है और तर्क के लिये यदि यह मान भी लिया जावे, भवन क्रमांक 6 वार्ड क्रमांक 16 स्थित भवन और

विवादित भूमि एक ही है तब भी उक्त भवन या विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व साबित करने के लिये वादी के पास कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

26— वादी ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा प्रस्ताव पारित कर विवादित भूमि पट्टे पर प्राप्त किया जाना बता रही है परन्तु उक्त पट्टे के संबंध में एक मात्र अधिकार वैसे भी ग्राम पंचायत को नहीं था, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 4 के अनुसार राज्य शासन द्वारा प्राधिकृत बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के ग्राम पंचायत पट्टा प्रदान नहीं कर सकती है। यदि ग्राम पंचायत द्वारा विवादित भूमि का वर्ष 1969 में पट्टा प्रदान किया गया होता तो निश्चित रूप से इसकी प्रविष्टि राजस्व अभिलेखों में भी होती परन्तु वादी की ओर से ऐसी कोई राजस्व अभिलेख 1969 के बाद के प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे विवादित भूमि पट्टे पर प्राप्त होना प्रमाणित होता है। यहां तक 1969 के बाद वादी के द्वारा पट्टे के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम इन्द्राज कराने के संबंध में दावा दायर करने से कुछ माह पूर्व ही शासन को नोटिस प्रेषित किया है इसके पूर्व विगत लगभग 50 वर्षों में वादी के द्वारा कोई कार्यवाही की गई हो, इस संबंध में न तो अभिवचन है न ही अभिलेख पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य भी उपलब्ध है। वादी की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रिट याचिका क्रमांक 10689/10 नगर जन कल्याण सेवा समिति बनाम् मध्यप्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांक 23.04.14 का आवलंबन लिया है परन्तु सम्माननीय न्यायदृष्टांत वर्तमान प्रकरण की परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है उपरोक्त न्यायदृष्टांत में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार पट्टे के आधार पर भूमि स्वामी की प्रविष्टि अभिलेख पर किये जाने के दावे को यथाशीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये हैं तथा यह भी निष्कर्ष दिया है कि कौन व्यक्ति भूमि स्वामी है अथवा नहीं यह प्रत्येक प्रकरण के गुणदोष पर निर्धारित किया जावेगा। उपरोक्त न्यायदृष्टांत में प्रतिवादित की गई विधि से वादी को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

27— अतः अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी यह साबित करने में पूरी तरह से असफल रही है कि सर्वे क्रमांक 204/1 रक्बा 160 गुणित 90 वर्गफीट का पट्टा वर्ष 1969 में ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा उसे पट्टे पर देकर उसे आधिपत्य प्रदान किया गया। वादी का विवादित भूमि पर निश्चित रूप से आधिपत्य होने के संबंध में अभिलेख पर साक्ष्य उपलब्ध हैं, परन्तु उक्त भूमि पर उसका विधिवत् आधिपत्य होने का कोई प्रमाण वादी साबित नहीं कर सका। अतः उक्त आधार पर वादी राजस्व अभिलेखों में विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व व आधिपत्य घोषित कराने का भी अधिकार नहीं रखते हैं। अतः **वाद प्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।**

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

28— वादी कमला (व0सा0-1) सहित साक्षी गौरी शंकर (व0सा0-2) व श्रीराम (व0सा0-3) ने अपने न्यायालीन कथनों में व्यक्त किया है कि प्रतिवादी रामबाबू, पूरन सिंह व सोनू उसकी विवादित भूमि पर कब्जा करने की धमकी देते रहते हैं, जबकि विवादित भूमि से उनका कोई संबंध नहीं है। वादी के उपरोक्त कथनों के विपरीत प्रतिवादी साक्षी रामबाबू

(प्र0सा0-3) ने अपने सशपथ कथनों में व्यक्त किया है कि वार्ड क्रमांक 11 मोहल्ला पछार दरवाजा पर उसके पूरन और सोनू के मकानों के संबंध में अतिक्रमण के प्रकरण चल रहे हैं। उन्होंने कमला बाई को कोई धमकी नहीं दी तथा कमला बाई को कोई पट्टा ग्राम पंचायत प्राणपुर द्वारा प्रदान नहीं किया गया।

- 29— कमला (व0सा0-1) एक ओर जहां अपने मुख्य परीक्षण में विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा करने की धमकी देना बताती है। वहीं यह साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 22 में प्रतिवादीगण को न्यायालय में देखकर यही पहचान नहीं कर सकी कि पूरन कौन है तथा सोनू व रामबाबू कौन है। इसी प्रकार गौरीशंकर (व0सा0-2) अपने प्रतिपरीक्षण में यह अवश्य कहता है कि प्रतिवादीगण ने कमला बाई का कोट पटक दिया था। जबकि प्रतिवादीगण के अनुसार सर्वे क्रमांक 204/1 के कुछ भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 कुछ भाग पर झोपड़ी बना कर कब्जा किये हुये है तथा उनका अतिक्रमण का प्रकरण भी चल रहा है।
- 30— प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किये गये आवेदन की पावती प्रदर्श डी 1 सहित उनके विवादित भूमि पर अतिक्रमण के संबंध में तहसील न्यायालय चंदेरी द्वारा प्रतिवादी रामबाबू, मांगीलाल, पूरन पर की गई कार्यवाही से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श डी 3 लगायत 6 एवं प्रदर्श डी 8 लगायत 16 प्रस्तुत किये हैं। जो कि रामबाबू मांगीलाल व पूरन के द्वारा सर्वे क्रमांक 204/1 पर अतिक्रमण कर निर्माण किये गये टपरो के संबंध में की गई कार्यवाही से संबंधित उपरोक्त दस्तोवजों प्रकरण में प्रस्तुत किये हैं, जिनको प्रदर्शित करने पर वादी अधिवक्ता द्वारा साक्षियों के कथन के दौरान आपत्ति प्रस्तुत की गई कि प्रस्तुत दस्तावेज निजी दस्तावेज की श्रेणी में आते हैं। प्रदर्श डी 1 की पावती पर ए से ए भाग पर सविता रजक प्र0सा0 2 ने पूर्व सचिव संतोष अहिरवार के हस्ताक्षरों की पहचान की है तथा उक्त दस्तावेज मूल दस्तावेज है जो विधिवत् हस्ताक्षरों की पहचान कर प्रमाणित किया गया है जो कि साक्ष्य में ग्राह्य है।
- 31— जहां तक सूचना के अधिकार के तहत प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों पर वादी अधिवक्ता की आपत्ति का प्रश्न है तो उपरोक्त आपत्ति के संबंध में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायदृष्टांत नारायण सिंह बनाम कालू राम कुशवाह रिट पीटिशन नंबर 7860/14 दिनांक 19.03.15 में प्रतिपादित न्यायमत का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जिसमें माननीय न्यायालय ने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त किये गये दस्तावेज को भी सत्यप्रतिलिपि के तरह ही साक्ष्य में प्रमाणित होना माना है तथा उक्त दस्तावेज किसी भी व्यक्ति द्वारा निकालकर प्रस्तुत भी किये जा सकते हैं। प्रतिवादी अधिवक्ता ने नगर पालिका अधिकारी द्वारा दी गई जानकारी पर भी प्रदर्श अंकित करने के संबंध में आपत्ति की गई थी जिसका निराकरण निर्णय के उपरोक्त चरणों में पूर्व में हो चुका है अतः ऐसे में स्पष्ट है कि सूचना के अधिकार के तहत निकाली गई, प्रति भी साक्ष्य में ग्राह्य है।
- 30— यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में विवादित भूमि के संबंध में वादी के स्वत्व का निर्धारण किया जाना प्रतिवादीगण की ओर से प्रकरण में कोई काउन्टर क्लेम नहीं है।

अतः ऐसे में सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किये गये उपरोक्त दस्तावेजों से प्रतिवादीगण का भी सर्वे क्रमांक 204/1 पर टपरे बने होने के कारण कुछ भाग पर अतिक्रमण तो माना जा सकता है, परन्तु उक्त आधार पर उनके स्वत्व का निर्धारण नहीं हो सकता है चूंकि प्रतिवादीगण का भी सर्वे क्रमांक 204/1 के कुछ हिस्से पर अतिक्रमण है तथा वादी स्वयं ही प्रतिवादीगण को नहीं पहचानती हैं। वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध किसी प्रकार की कोई शिकायत भी दर्ज नहीं करायी गई तथा स्वयं वादी का भी विवादित भूमि पर विधिवत आधिपत्य होना प्रमाणित नहीं है जिसके आधार पर यह प्रमाणित नहीं होता है कि वादी के वैध आधिपत्य की भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और चूंकि वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किये जाने का प्रयास किये जाना साबित नहीं है इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 3 व 4 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 5 का विवेचन एवं निष्कर्ष :—

- 31— वादी के द्वारा वाद का मूल्य 400/— रुपये पर निर्धारित करके 500/— रुपये न्यायशुल्क प्रस्तुत किया है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण का कहना है कि वादग्रस्त भूमि कृषि भूमि नहीं है, उसका मूल्य लगभग 1,00,000/— रुपये है, जिस पर वादी को न्यायशुल्क प्रस्तुत करना था तथा स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वादी को पृथक से न्यायशुल्क अदा करना था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि वादी के द्वारा विवादित भूमि पर स्वत्व घोषणा के साथ पारिणामिक अनुतोष के रूप में स्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है जिसके संबंध में वादी को न्यायशुल्क अधिनियम की धारा-7 पअ (ब) के अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था, जिसके लिये वादीगण को इप्सित अनुतोष की रकम का कथन कर उस पर मूल्य अनुसार न्यायशुल्क अदा करना था तथा न्यायशुल्क के प्रयोजन के लिये इप्सित अनुतोष और वाद का मूल्यांकन वाद मूल्यांकन अधिनियम के अनुसार एक ही होगा। अतः वादी को 400/— रुपये पर 12 प्रतिशत की दर से न्यूनतम 100/— रुपये के अधीन रहते हुये, न्यायशुल्क प्रस्तुत करना था। जो कि वादी के द्वारा कुल 500/— रुपये न्यायशुल्क उपरोक्त अनुतोष प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया गया है जो कि उचित है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 5 का निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 6 का विवेचन एवं निष्कर्ष :—

- 32— प्रतिवादीगण के द्वारा अपने अभिवचनों में यह आपत्ति प्रस्तुत की गई है कि इस न्यायालय के प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार नहीं है, क्योंकि वाद भूमि का मूल्यांकन अधिक है, परन्तु इस संबंध प्रतिवादीगण के अभिवचन स्पष्ट नहीं है न ही इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से अपने लिखित तर्क में व्यक्त किया गया है। कि शासकीय भूमि पर भूराजस्व संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत ही स्वत्व प्रदान किये जा सकते हैं, जिसका अधिकार राजस्व न्यायालय को हैं। पट्टा प्रदान करने का अधिकार व्यवहार न्यायालय को नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में सर्व प्रथम तो वाद मूल्य

400/- रुपये पर निर्धारित है, जिससे उक्त वाद मूल्य पर प्रकरण के विचारण का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है इस प्रकरण में वादी के द्वारा पट्टा प्रदान करने की सहायता न चाह कर स्वत्व घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता चाही गई, जिसे प्रदान करने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है अतः वाद प्रश्न क्रमांक 6 का निष्कर्ष सकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 7 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

- 33— प्रतिवादी क्रमांक 1 एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 ने अपने अभिवचनों में यह आपत्ति दी है कि प्रस्तुत वाद अवधि बाधित है तथा प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 का कहना है कि दावा 43 साल बाद प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क में प्रदर्श पी 13, 14, 15 एवं 16 के दस्तावेजों को हवाला देते हुये व्यक्त किया गया है कि शासन द्वारा 31.01.99 को ही वादी के स्वत्व को चुनौती दी गई थी तथा वर्ष 2000 में नाथूराम द्वारा भी वादी के स्वत्व को चुनौती दी गई थी वादी को तीन वर्ष की अवधि में दावा प्रस्तुत करना था, जो कि नहीं किया गया अतः दावा निरस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण ने जिन दस्तावेजों के आधार पर दावे को अवधि बाधित होना बताया है उक्त दस्तावेजों में सर्व प्रथम तो वादी का विवादित भूमि पर स्वत्व का विवाद न होकर आधिपत्य के संबंध में राजस्व न्यायालयों में निष्कर्ष दिये है तथा शासन द्वारा भी सीधे तौर पर वादी के स्वत्वों को चुनौती नहीं दी है। वर्तमान प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 2 लगायत 4 द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने के प्रयास दिनांक 05.08.12 को किये जाने पर उक्त दिनांक को वाद कारण बताते हुये दावा प्रस्तुत किया गया है और उक्त दिनांक से दावा तीन वर्ष की अवधि में प्रस्तुत है जो कि समय अवधि में है। अतः वाद प्रश्न क्रमांक 7 का निष्कर्ष नकारात्मक दिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 8 का विवेचन एवं निष्कर्ष :-

सहायता एवं वाद व्यय:-

- 34— वादी अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में सफल नहीं हुआ है। जिसको देखते हुये यह वाद निरस्त किया जाता है, तथा निम्न आशय की आज्ञापति पारित की जाती है।

01:— यह वाद प्रमाणित न होने से निरस्त किया जाता है।

02:— वादी व प्रतिवादीगण अपना अपना वाद व्यय वहन करेंगे।

03:— अधिवक्ता शुल्क की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान के प्रमाणीकरण के अधीन नियम 523 म.प्र. व्यवहार न्यायालय नियम एवं आदेश के अनुसार संगणित या जो

वास्तविक रूप से भुगतान की गई हो तथा जो न्यून हो
व्यय में जोड़ा जावे।
तदनुसार डिक्री की रचना की जावें ।

निर्णय आज दिनांक को दिनांकित
मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित
किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
चन्देरी, जिला अशोकनगर म.प्र.